न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 05/2022 (जीसीएमएस न0 2022/2)

1. कैलाश पुत्र कुंजीलाल उम्र 75 वर्ष
2. ओमप्रकाश पुत्र कुंजीलाल उम्र 70 वर्ष
   जातियान पूर्विया निवासीयान भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. कलावती पत्नि श्री चन्दन सिह जाति पुर्विया निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मु0न0 229/15 दिनांक 18.01.2022)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री श्रीदास सिह
2. रेस्पोडेट 1 की ओर से श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

निर्णय

दिनांक 17.08.2022

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु0न0 229/15 निर्ण दिनांक 18.01.2022 के विरूद्व पेश की गयी है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/प्रार्थीयां कलावती द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम भगवतगढ की राजस्व सीमा मे प्रार्थीयां की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 567 रकबा 3.6800 है0 किस्म बारानी 2 स्थित है। जिस पर प्रार्थीयां काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि की के पास ही अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 1 कैलाश की खातेदारी भूमि ख0न0 546 रकबा 0.3500 है0 स्थित है जिसके बाद ख0न0 554 रकबा 0.2300 है0 अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 2 ओमप्रकाश की भूमि स्थित है। प्रार्थीयां अपनी भूमि ख0न0 567 पर गांव से बनास जाने वाले रास्ते से होकर ख0न0 546 व 554 मे होकर हमेशा से जाती रही है तथा आज भी इसी भूमि से रास्ते के रूप मे काम मे ले रही है। खसरा न0 554 जो अपीलांट ओमप्रकाश का है वह मात्र 0.2300 है0 का जबकि नक्शा मे करीब 0.7500 है0 का बना है जो सेटलमेंट की गलती है। उत्तर मे इसके पूर्व से पश्चिम प्रार्थीयां के खेत पर पहुॅचने के लिए चौडा रास्ता रहा है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीयां करती चली आ रही है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीयां की खातेदारी की भूमि पर पहुॅचने के लिए नही है। इस प्रकार इस रास्ते की प्रार्थीयां को पूर्णतया आवश्यकता है। यही रास्ता है जो प्रार्थीयां के खेत ख0न0 567 पर पहुॅचने के लिए सुलभ है। इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ख0न0 546 व 554 मे होकर 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीयां के लिए उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे अप्रार्थीयान/अपीलांटान ने इस रास्ते को काफी सकरा कर दिया है जिससे प्रार्थीयां को अपनी आराजी पर पहुँचने मे काफी परेशानी हो रही है। अतः प्रार्थीयां के अप्रार्थीगण 1 व 2 की भूमि ख0न0 546 व 554 मे होकर पूर्व से पश्चिम 12 फुट चौडा रास्ता ख0न0 567 की सीमा तक कायम किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ प्रार्थीयां/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटान/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषको द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर कोई आधार मौजूद नही होते हुए भी ख0न0 554 व 546 की उत्तरी मेड से रास्ता देकर अहम भूल की है। जो निरस्त योग्य है। पत्रावली पर मौजूद रिपोर्ट दिनांक 8.5.18 मे स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेस्पो/प्रार्थीयां अपने खेत ख0न0 567 पर ख0न0 604,603,540,550 व 598 मे होकर आती जाती है तथा उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है यह रास्ता चौपहिया वाहन के लिए पर्याप्त है। इस रिपोर्ट पर गौर किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। दिनांक 8.5.18 की रिपोर्ट पत्रावली पर आने के बाद पत्रावली अंतिम बहस मे लगा दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई आदेश के पत्रावली मे दूसरी मौका रिपोर्ट तलब की गई। दूसरी मौका रिपोर्ट दिनांक 12.02.20 मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा रेस्पो0 से साज करके ख0न0 567 मे आने जाने हेतु रास्ता ख0न0 554 व 546 मे से दिये जाने की रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी गई। एक दुसरे के विरोधाभासी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालंय द्वारा यह आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 क के अन्तर्गत काश्तकार को अपनी आराजी पर जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही होने की सूरत मे ही नया रास्ता दिया जा सकता है। जबकि उक्त पत्रावली पर मौजूद मौका रिपोर्ट दिनांक 8.5.18 मे यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलावती को अपने ख0न0 567 मे आने जाने हेतु रास्ता ख0न604,603,540,550 व 598 मे होकर पूर्व से ही बना हुआ है तथा रेस्पो0 कलावती विगत कई वर्षो से उक्त खसरा नम्बरान मे होकर बने हुए रास्ते को ही काम मे लेती चली आ रही है तथा कृषि उपकरण लाती ले जाती रही है। इन तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया जाकर नियम विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर ही निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की अवैधता एवं त्रुटि नही है। रेस्पो0 की खेत ख0न0 567 पर आवागमन हेतु अपीलांटान के खेत ख0न0 546 एवं 554 की उत्तरी मेड के सहारे से 3 मीटर चौडा एवं 278 मीटर लम्बा कुल 834 वर्गमीटर होने एवं उसका अन्य कोई विकल्प नही होने के बिन्दु को सही एवं उचित मानकर ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय पारित किया है। यह ही एक मात्र रास्ता प्रार्थीयां की खातेदारी खेत ख0न0 567 मे आवागमन का सबसे सरल सीधा एवं न्यूनतम दूरी का है। रेस्पो0 इसी मे होकर अपने खेत मे हमेशा आवागमन करती है तथा इसके अलावा अन्य कोई विकल्प मौके पर नही है। इस निर्णय की पूर्णतया पालना हो चुकी है। रेस्पो0 द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करा देने पर ही मौके पर ख0न0 546 व 554 मे यह रास्ता ख0न0 5697/546 एवं 5699/554 गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे रिकार्ड दर्ज किया जा चुका है तथा राजस्व टीम द्वारा मौके पर जाकर उक्त गैर मुमकिन रास्ते को चिन्हित कर निशानात कायम किये जा चुके है तथा उन्ही की मौजूदगी मे प्रार्थीयां द्वारा इस रास्ते मे मोहरम मिटटी डलवाकर लोहे का गेट लगवा दिया है। इसी रास्ते से रेस्पो0 प्रार्थीयां पूर्व की तरह आवागमन करती है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या एवं मनगढन्त है कि खेत ख0न0 567 मे आवागमन का रास्ता ख0न0 406,603,540,550,598 मे होकर है जबकि उक्त खेतो मे से प्रार्थीयां का आवागमन आज तक नही रहा है बल्कि प्रार्थीयां के खेत का रास्ता अपीलांट के खेत ख0न0 546 व 554 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे रहा है। मौका रिपोर्ट दिनांक 8.5.18 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सत्य व उचित न होना मानकर ही पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.02.20 को मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमे भी खेत ख0न0 546 व 554 की उत्तरी मेड के सहारे ख0न0 567 मे आवागमन हेतु 3 मीटर चोडा रास्ता दिया जाना उचित माना है। उसी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयां को रास्ता दिया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस मे इस मौका रिपोर्ट दिनांक 12.02.20 का उल्लेख नही किया है इसे छिपा लिया है जबकि द्वितीय मौका रिपोर्ट आ जाने पर प्रथम मौका रिपोर्ट स्वतः ही निरथक हो जाती है। अपीलांट द्वारा केवल अमान्य मिथ्या रिपोर्ट दिनांक 8.5.18 को आधार बनाकर ही अपील पेश की है जो चलने येाग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिलकुल बैध एवं उचित है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील, अपीलाधीन आदेश तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रकरण धारा 251 ए के तहत उनवानी कलावती बनाम चन्दन सिह के नाम से प्रकरण संख्या 229/15 दर्ज किया जाना आदेशिका पर उल्लेखित है जबकि प्रार्थना पत्र 251 ए मे उनवान कलावती देवी पत्नि श्री चन्दन सिह बनाम कैलाश पुत्र कुंजीलाल वगै0 के नाम से प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस दिनांक 18.01.22 को सुना जाना बताया गया है परन्तु निर्णय दिनांक 18.01.2022 मे कही भी उभयपक्ष की बहस का उल्लेख नही किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के वकील द्वारा दौराने बहस क्या तर्क दिये गये है, केवल मात्र तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली मे मौजूद पटवारी रिपोर्ट दिनांक 8.5.18 मे ख0न0 604,603,540,550,598 मे से होकर प्रार्थीयां/रेस्पो0 का आना जाना बताया गया है तथा मौके पर उक्त रास्ता अस्थाई रास्ता मौजूद होना तथा रास्ता चौपहिया वाहन हेतु पर्याप्त होना बताया गया है परन्तु उस रिपोर्ट मे कांट छांट किया जाना पाया गया है। पक्षकार द्वारा इस मौका रिपोर्ट का विरोध करने पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है दोनो रिपोर्ट भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। प्रथम रिपोर्ट मे प्रार्थीयां/रेस्पो0 के खेत पर आने जाने हेतु अस्थाई रास्ता बताया गया है जबकि दुसरी रिपोर्ट मे उसके विपरीत स्थिति दर्शाई गई है। इस प्रकार दोनो रिपोर्ट संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण एवं संदेहास्पद निर्णय की श्रेणी मे आता है। उक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 229/15 निर्णय दिनांक 18.01.22 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए प्रावधानो के अन्तर्गत तहसीलदार को मौके पर भिजवाकर मौके की वास्तविक स्थिति यथा रास्ता अस्थाई है तो किस ख0न0 से है यदि नही है तो सुलभ एवं लघुतम रास्ता किस ख0न0 से बनता है के संबंध मे मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार करवाकर उस पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये जाकर, प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रत्येक बिन्दु पर अपना अभिमत विरचित कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहॉ दिनांक 27.09.2022 को उपस्थित होवे।

7. निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner